न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

निगरानी संख्या 17 / 2021

1. मो0 हनीफ आयु 50 वर्ष पुत्र सरवर खां जाति कायमखानी मुस्लिम निवासी वार्ड नम्बर 07, ग्राम पंचायत भीमसर तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. अनवर हुसैन आयु 63 वर्ष पुत्र मो0 सदीक खां जाति कायमखानी मुस्लिम निवासी वार्ड नम्बर 07, ग्राम पंचायत भीमसर तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. मुश्ताक अहमद आयु 63 वर्ष पुत्र स्व. महनु खां जाति कायमखानी मुस्लिम निवासी वार्ड नम्बर 07, ग्राम पंचायत भीमसर तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. अब्दुल मजीद आयु 70 वर्ष पुत्र स्व. हसन मोहम्मद खां, जाति कायमखानी मुस्लिम निवासी वार्ड नम्बर 07, ग्राम पंचायत भीमसर तहसील व जिला झुन्झुनू।

—निगरानीकार—

बनाम

1. रमाकांत टीबड़ा उम्र 47 वर्ष पुत्र बाबुलाल टीबड़ा, जाति महाजन, निवासी भीमसर हाल निवासी बंसत विहार, जिला कलक्टर आवास के पास सीकर, तहसील व जिला सीकर।
2. नीरू टिबड़ा आयु 35 वर्ष पत्नि सुमित कुमार जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 5, ग्राम भीमसर, ग्राम पंचायत भीमसर, तहसील व जिला झुन्झुनू निवर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत भीमसर।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत भीमसर, श्रीमती सजदा बानो जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भीमसर, तहसील व जिला झुन्झुनू।

—गैर निगरानीकारान—

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 2(ii) व आज्ञा दिनांक 22.01.2018 ग्राम पंचायत भीमसर, बनाये जाने पट्टा संख्या 82।

उपस्थितिः—

1. श्री फैयाज अहमद, एडवोकेट............................निगरानीकार की ओर से।
2. श्री अमरपाल भीमसरिया, एडवोकेट.गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 की ओर से।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

—निर्णय— दिनांक : 11.6.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम भीमसर निवर्तमान सरपंच नीरू टिबड़ा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कार्यकाल में दिनांक 22.01.2018 को ग्राम पंचायत भीमसर की बैठक में प्रस्ताव संख्या 2(ii) पारित कर आज्ञा जारी कर पट्टा संख्या 82 जेरेकार निगरानी निवर्तमान सरपंच नीरू टिबड़ा ने अपने सगे काक ससुर रमाकान्त टिबड़ा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम बनाकर जारी किया जो विधिक दृष्टि से पूर्णतया गलत, अवैध, अनाधिकार तथा आपराधिक कृत्य कर जारी किया है। प्रस्ताव संख्या 2(ii) व आज्ञा दिनांक 22.01.2018 ग्राम पंचायत भीमसर पूर्णतया शून्य व एक नल एण्ड वोईड कार्यवाही है तथा पट्टा संख्या 82 जेरे निगरानी पूर्णतया अविधिमान्य है जिसकी आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रमाकान्त टिबड़ा की पूर्णतया अनुपस्थिति में दिनांक 19.12.2020, 21.12.2020 व 22.12.2020 को अवैध, अवैधानिक, अनाधिकार व आपराधिक कृत्य कर ग्राम पंचायत भीमसर की कदीमी मस्जिद की दक्षिणी इमारत के पुराने जंगले, दरवाजा व छत की नाले को अनाधिकार निर्माण कर बन्द किये गये तथा उक्त मस्जिद की दक्षिणी हिस्से में उसकी नाल दो गज उतर–दक्षिण व करीब 30 गज पूर्व–पश्चिम पर अतिक्रमण कर निर्माण करने से निगरानीकारान संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थीगण के हक–हुकूक व अल्पसंख्यक समाज के लोगों की धार्मिक आस्था के उपयोग व उपभोग, इबाबत, पूजा अर्चना के केन्द्र पर जबरन, हिंसक व सुनियोजित तरीके से अतिक्रमण कर निर्माण करने से आहत होने पर तथा ग्राम भीमसर के सार्वजनिक व आम चौक में प्रयोग हो रही भूमि का पट्टा व अतिक्रमण करने से आहत होकर निगरानी हाजा प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्ताव संख्या 2(ii) व आज्ञा दिनांक 19.12.2020 को थानाधिकारी सदर झुन्झुनू, उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के निगरानीकारान द्वारा अवैध कब्जे व जबरन निर्माण शुरू करने की शिकायत पर मौके पर आने के बाद उन्हे जेरे निगरानी पट्टों की जानकारी होने पर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्ताव संख्या 2(ii) व आज्ञा दिनांक 22.01.2018 की पूरी कार्यवाही विरूद्ध नियम व कानून है। ग्राम पंचायत भीमसर की उक्त पट्टा पत्रावली के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(क) के अन्तर्गत पूर्व में बने हुए आवासीय मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट, नजरी नक्शा अंकित है। नजरी नक्शा जिस पर आवेदक रमाकान्त व निवर्तमान सरपंच नीरू टिबड़ा के हस्ताक्षर व ग्राम पंचायत की मोहर है, आबादी भूमि के निरीक्षण कमीशन की रिपोर्ट मय नाप व चर्तुथसीमा पड़ौसी दर्ज है। आबादी भूमि में प्रस्तावित पट्टे के संबंध में आपेक्ष आमंत्रित करने का नोटिस जिसमें नजरी नक्शा व दो हस्ताक्षर है। आज्ञाओं की सूची प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.12.2017, 20.12.2017, 22.01.2018 तथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.12.2017, 20.12.2017, 22. 01.2018, हस्ताक्षर उपस्थिति प्रपत्र दिनांक 22.01.2018 ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर, सहमति पत्र, सरवरक फार्म, पट्टा संख्या 83 व रसीद संख्या 2 जमा रूपये 270/– रूपये दिनांक 08.03.2018 पट्टा आवेदन शुल्क आदि है। उक्त सभी पत्रावलियों के अवलोकन से साफ है कि पट्टा जेरे निगरानी किसी भी तरह से विधि सम्मत नही है। जिस भूमि पर ग्राम पंचायत भीमसर द्वारा उक्त पट्टा नियम 157 के तहत जारी किया गया है वहां पर कोई निर्माण होना तो दूर किसी प्रकार के संकेत या अवशेष भी मौजूद नही है। आवेदन पत्र तथा नजरी नक्शा में कही भी कोई दिनांक दर्ज नही है। नोटिस आपेक्ष में किसी सार्वजनिक सहज दृश्य व पूर्व में बने मकान या आस–पास की जगह नोटिस आपेक्ष चस्पा किया गया कुछ भी दर्ज नही है। दो हस्ताक्षर है किस के है पूरा पता व पहचान दर्ज नही है। हस्ताक्षर वास्तविक है या नकली कुछ भी कहना असम्भव है। आज्ञा सूची संख्या 1 में आवेदनकर्ता का निवास सीकर होना दर्ज है। आवेदन पत्र पर 157 (क) में नियमन का पट्टा जारी करने का अधिकार प्रिन्टेड फार्म में आज्ञा में दर्ज है जिसमें नियम 146 रा.प.रा. के प्रावधान का भी हवाला है किन्तु उसकी पूर्णरूपेण अनदेखी की गई है। आवेदन में आवेदक की जाति पुरोहित दर्ज है जबकि आवेदक की जाति महाजन है। इसके अलावा आवेदन के साथ लगा 20/– मूल्य का स्टाम्प भी नवनीत नाम से खरीदा गया है जो कि उस दौरान वार्ड पंच था तथा उक्त स्टाम्प दिनांक 19.07.2017 को लिया गया था किसलिए लिया गया था कुछ भी दर्ज नही है। 6 माह बाद खाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

स्टाम्प स्वयं ही उपयोग योग्य नही माना जाकर विधिमान्य नही रहता है। इस प्रकार प्रकरण में विवादित पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत भीमसर द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की अवहेलना करते हुए निवर्तमान सरपंच द्वारा अपने परिवार के सदस्य में पक्ष में जारी किया गया है जो कि अवैध व विधि विरूद्ध जारी किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार कर जेरेकार निगरानी पट्टा संख्या 83 व उसके संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 2(ii) दिनांक 22.01.2018 तमाम कार्यवाही पट्टा जारी करने, अविधिमान्य होने से तथा अवैध व अवैधानिक, अनाधिकार व आपराधिक कृत्य कर जारी करने से निरस्त कर अपास्त किये जाने के आदेश फरमावें।

निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 को नोटिस भेजकर तामील की गई। रिकार्ड ग्राम पंचायत भीमसर तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई। गैर निगरानीकार संख्या 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत भीमसर ने गैर निगरानीकार संख्या 1 से साज कर ग्राम भीमसर ने सार्वजनिक चौक की खाली भूमि पर पट्टा जारी किया है। उक्त विवादित भूमि मस्जिद के पास है तथा सार्वजनिक उपयोग की खाली भूमि है। अतः निगरानी स्वीकार कर जेरेकार निगरानी पट्टा संख्या 83 व उसके संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 2(ii) दिनांक 22.01.2018 तमाम कार्यवाही पट्टा जारी करने, अविधिमान्य होने से तथा अवैध व अवैधानिक, अनाधिकार व आपराधिक कृत्य कर जारी करने से निरस्त कर अपास्त किये जाने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 2 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत भीमसर ने पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रदत नियमों के तहत विधि अनुरूप सही पट्टे जारी किये है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रिकार्ड ग्राम पंचायत भीमसर एवं पट्टा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित मौके पर खाली है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157(क) के अन्तर्गत पुराने कब्जे के आधार पर आवासीय भूमि के पट्टे जारी किये जाते है। प्रकरण में विवादित भूमि मस्जिद के साथ लगती खाली भूमि है तथा सार्वजनिक उपयोग की है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भीमसर द्वारा प्रस्ताव संख्या 2(ii) आदेश दिनांक 22.01.2018 बाबत दिये जाने पट्टा संख्या 83 बहक गैर निगरानीकार संख्या 1 जारी करते समय पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों का पालन नही करते हुए गलत रूप से गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पट्टे जारी किये गयें है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रकरण को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण में ग्राम पंचायत भीमसर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम से जारी पट्टा संख्या 83 दिनांकित 22.01.2018 को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

प्रकरण में विचाराधीन पट्टा संख्या 83 दिनांकित 22.01.2018 को न्यायालय हाजा में विचाराधीन अन्य प्रकरण मुकदमा संख्या 14/2021 किस्म निगरानी बउनवानी पुरूषोतम लाल टिबड़ा बनाम ग्राम पंचायत भीमसर व अन्य में निरस्त किया जा चुका है।

अतः निगरानी निगरानीकार पर उपरोक्त प्रकरण मुकदमा संख्या 14/2021 किस्म निगरानी बउनवानी पुरूषोतम लाल टिबड़ा बनाम ग्राम पंचायत भीमसर व अन्य का निर्णय प्रभावी होगा तथा निगरानी उपरोक्त प्रकरण का भाग रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 11.6.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।